वन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)

डाकघर- न्यू फ़ॉरेस्ट, देहरादून - 248006 (उत्तराखंड)

आधिकारिक वेबसाइट: https://fri.icfre.gov.in

विज्ञापन

समूह-ग भर्ती-2026

विज्ञापन सं. 1/FRI/GC/2026Date: 04/05/2026

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि	**04-05-2026 (12:00 AM)**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय	**03-06-2026 (11:59 PM)**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण-I) की संभावित तिथि	जून,**2026**
वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (चरण-II) की तिथि	**बाद में सूचित किया जाएगा**
कौशल/ट्रेड परीक्षण (चरण-III) की तिथि	**बाद में सूचित किया जाएगा**

निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

क्र. सं.	**पद का नाम**	**7वें के.वे. आ. अनुसार वेतन स्तर**	**पदों की संख्या**	**समूह**	**वर्ग**						**शैक्षणिक अर्हता**	**आयु**
					अना.	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व.**	**आ.क.व.**	**कुल**		
1.	पुस्तकालय सूचना सहायक	स्तर-6	02*	-	02	-	-	-	-	**02***	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।	18 **वर्ष से कम और** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
2.	तकनीकी सहायक (क्षेत्र/प्रयोग शाला अनुसंधान)	स्तर-5	04*	-	-	-	01	02	01	**04***	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री, जिसमें वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/वानिकी/पर्यावरण/पारिस्थितिकी/जैव प्रौद्योगिकी/आनुवंशिकी/सूक्ष्म	21 **वर्ष से कम और** 30 **वर्ष से अधिक नहीं।**

											जीव विज्ञान/भूविज्ञान/जैव रसायन विज्ञान में से कोई एक विषय रहा हो।	
3.	आशुलिपिक ग्रेड II	स्तर-4	02*	-	02	-	-	-	-	**02***	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। (ii) अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति। (iii) कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – टाइपिंग की गति 5 की-डिप्रेशन प्रति शब्द।	18 **वर्ष से कम और** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
4.	तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोग शाला अनुसंधान)	स्तर-3	11*	-	-	-	02	08	01	**11***	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2, जिसमें कुल मिलाकर 60% अंक या समकक्ष योग्यता हो।	18 **वर्ष से कम और** 30 **वर्ष से अधिक नहीं।**
5.	भंडारपाल	स्तर-3	03*	-	02	-	-	01		**03***	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास।	18 **वर्ष से कम और** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
6.	तकनीशियन (रखरखाव)	स्तर-2	09*	सूचना प्रौद्योगिकी	-			01	-	**01***	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक-परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।	18 **वर्ष से कम और** 30 **वर्ष से अधिक नहीं।**
				बढ़ई	-	01	01			**02***		
				पंप संचालक-सह-मैकेनिक	-	01	-		01	**02***		
				नलसाज	-	-	01	01	-	**02***		
				इलेक्ट्रीशियन	-	-	-	01	01	**02***		
7.	अवर श्रेणी लिपिक	स्तर-2	08* (Including ESM-02)	-	-	-	02	03	03	**08***	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति।	18 **वर्ष से कम और** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**
8.	वन रक्षक	स्तर-2	07* (Including ESM-03)	-	04	01	-	02	-	**07***	सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं पास **शारीरिक मानक - पुरुष:** (i) पैदल चलना: 4 घंटे में 25 किमी। (ii) ऊँचाई: न्यूनतम 165 सेमी। (iii) छाती: बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाने पर 84 सेमी। **महिला:** (i) **पैदल**: 4 **घंटे में** 14 **किमी.** (ii) **ऊँचाई: न्यूनतम** 150	18 **वर्ष से कम और** 27 **वर्ष से अधिक नहीं।**

											सेमी. (iii) **छाती: बिना फुलाए** 74 **सेमी और फुलाने पर** 79 **सेमी.** नोट: नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।	
9.	बहुकार्य कर्मचारी (एमटीएस)	स्तर-1	45* [खिलाड़ी-01, शा.दि.-03 (बीएल,बीए, ओएल, ओए, बीएच, एमडब्लू, पीबी, डी, एच, पीडी, एमएच), पूर्व सैनिक -04 सहित]	-	03	-	08	24	10	**45***	**अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव।	18 **वर्ष से कम और** 27 **वर्ष से अधिक नहीं**
		कुल	**91***		13	03	15	43	17	91*		

*** उपर्युक्त पदों की संख्या में परिवर्तन की जा सकती है या शून्य भी हो सकती है। पद शून्य होने की स्थिति में, आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।**

टिप्पणी-:

1. रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है या शून्य हो सकती है।
2. सभी पदों के लिए आवश्यक योग्यता अनिवार्य है।
3. दिव्यांग/पूर्व-सैनिक/खिलाड़ी के रिक्त पदों को पहले भरा जाएगा और संबंधित श्रेणियों में समायोजित किया जाएगा।
4. **बहुकार्य कर्मचारी दिव्यांग** -03 रिक्ति में दिव्यांगता के प्रकारों में BL, BA, OL, OA, BH, MW, PB, D, H, PD, MH शामिल हैं।

संक्षिप्त नाम:-BL-दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं, BA-दोनों हाथ प्रभावित (क) दुर्बल (ख) पकड़ की कमजोरी, OL-एक पैर प्रभावित (दाहिना और/या बायाँ), OA-एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायाँ) (क) अक्षम (ख) पकड़ की कमजोरी (ग) गतिभंग, BH-स्टिफ पीठ और कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते), MW-मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति, PB-आंशिक रूप से अंधा, D-बधिर, H-श्रवण ह्रास, PD-आंशिक रूप से बधिर, MH-मानसिक रूप से विकलांग।

चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

A. चरण-I : कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी)

क्र.सं.	पद नाम	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	न्यूनतम अर्ह अंक	ऋणात्मक अंक	अवधि **(घंटों में)/**
1.	तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)	(i) बुनियादी विज्ञान (ii) अंकगणित (iii) मानसिक योग्यता और तर्कशक्ति परीक्षण (iv) सामान्य जागरूकता	20 20 20 20	100	अना.–50 आ.क.व.–50 अ.जा.-40 अ.ज.जा.-40 अ.पि.व.–40	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक	3 घंटे (सेरेब्रल पाल्सी और लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित

		(v) सामान्य अंग्रेजी	20		दिव्यांग (सा. एवं आ.क.व.)-45 दिव्यांग (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.)-40		दृ.दि./अ.दि. हेतु 3 घंटे और 60 मिनट का समय निर्धारित है। इस दिव्यांगता के कारण लिखने से संबंधित मुख्य हिस्से पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि अभ्यर्थी की कार्य करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है)
2.	तकनीशियन (रखरखाव)	(i) संबन्धित क्षेत्र (ii) अंकगणित (iii) मानसिक योग्यता और तर्कशक्ति परीक्षण (iv) सामान्य जागरूकता (v) सामान्य अंग्रेजी	20 20 20 20 20				
3.	तकनीकी सहायक (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)	(i) संबन्धित विषय (ii) अंकगणित (iii) सामान्य जागरूकता और तर्कशक्ति परीक्षण (iv) अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान	40 20 20 20	100			
4.	अवर श्रेणी लिपिक	(i) संख्यात्मक अभियोग्यता (अंकगणित) (ii) अंग्रेजी भाषा (iii) सामान्य जागरूकता (iv) सामान्य बुद्धि	25 25 25 25	100	अना. – 40 आ.क.व.- 40 अ.पि.व. – 40 अ.जा.– 33 अ.ज.जा.- 33 दिव्यांग - 33	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक	2 घंटे (सेरेब्रल पाल्सी और लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित दृ.दि/अ.दि. के लिए 2 घंटे और 40 मिनट का समय दिया जाएगा, इस दिव्यांगता में लिखने से संबंधित शरीर का मुख्य हिस्सा इस हद तक प्रभावित होता है कि अभ्यर्थी की कार्य क्षमता धीमी पड़ जाती है)।
5.	वन रक्षक	(i) वानिकी से संबंधित बुनियादी विज्ञान (ii) अंकगणित एवं तर्कशक्ति (iii) सामान्य जागरूकता (iv) अंग्रेजी	40 25 25 10				
6.	आशुलिपिक ग्रैड-II	(i) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (ii) सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति (iii) सामान्य जागरूकता	50 25 25	100			
7.	भंडार पाल	(i) संख्यात्मक योग्यता (ii) सामान्य जागरूकता (iii) सामान्य बुद्धि (iv) अँग्रेजी भाषा	25 25 25 25	100			
8.	पुस्तकालय सूचना सहायक	(i) संबन्धित क्षेत्र (ii) सामान्य जागरूकता एवं बुद्धिमत्ता (iii) बुनियादी अंकगणितीय कौशल (iv) अंग्रेजी भाषा	40 20 20 20	100			
9.	बहुकार्य कर्मचारी (एमटीएस)	(i) संख्यात्मक अभियोग्यता (ii) सामान्य जागरूकता (iii) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (iv) सामान्य अंग्रेजी	25 25 25 25	100			

टिप्पणी

(a) सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) उत्तराखंड में निम्नलिखित अनुसूची अनुसार आयोजित की जा सकती है:

पहले दिन	पाली - 1	पुस्तकालय सूचना सहायक
	पाली - 2	भंडार पाल
दूसरे दिन	पाली – 1	तकनीशियन (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)
	पाली – 2	तकनीशियन (रखरखाव)
तीसरे दिन	पाली – 1	वन रक्षक
	पाली - 2	तकनीकी सहायक (क्षेत्र/प्रयोगशाला अनुसंधान)
चौथे दिन	पाली - 1	अवर श्रेणी लिपिक
	पाली - 2	आशुलिपिक ग्रेड-II
पांचवें दिन	पाली - 1	बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस)

नोट: वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किसी भी दो या दो से अधिक पदों के लिए एक ही समय में आयोजित होने वाले परीक्षण तिथि/समय/केंद्र के मामले में परीक्षण तिथि/समय में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।अभ्यर्थियों को यह निश्चय करना होगा कि वे कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं।

(b) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन केवल सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और टाई की स्थिति में अन्य लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(c) सीबीटी परीक्षा में समान अंक/टाई अंक होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सीबीटी के विषयों के विभिन्न उप-अनुभागों में क्रमिक क्रम में रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए, उप खंड (i) को उप खंड (ii) से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी और इसी क्रम में आगे बदती रहेगी। सभी समानता की स्थिति में, अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को उनकी जन्म तिथि के अनुसार उच्च योग्यता पर रखा जाएगा।

(d) शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों (प्रत्येक विज्ञापित पद की श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या का 05 गुना) को सीबीटी में उनके अंक के आधार पर वर्णनात्मक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

B. चरण-**II :** वर्णनात्मक परीक्षण

विषय	अधिकतम अंक	अवधि	न्यूनतम योग्यता अंक
एक लघु निबंध (लगभग 300 शब्दों में) और एक पत्र/आवेदन (इनमें से कोई एक **हिंदी** में होना चाहिए और दूसरा **अंग्रेज़ी** में)	50 **(25+25)**	45 मिनट	**अधिकतम अंकों का 50%**

(a) **<u>वर्णनात्मक परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति का होगा</u>** और इसका उद्देश्य समूह-ग के पद की श्रेणी और सेवा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक भाषा कौशल का परीक्षण करना है। न्यूनतम अर्ह अंक (अधिकतम अंकों का 50%) प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को अंतिम चयन/योग्यता के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(b) **<u>सभी पदों के लिए वर्णनात्मक परीक्षा केवल देहरादून में आयोजित की जाएगी</u>** और यह 'पेन एंड पेपर' मोड में होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को एक लघु निबंध और एक पत्र/आवेदन लिखना होगा।

(c) अभ्यर्थियों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उत्तर पुस्तिका के अंदर नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर, पता आदि नहीं लिखना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति को अनुचित साधन (यूएफएम) माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिए जाएंगे और उनकी अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी।

C. चरण-**III: केवल निम्नलिखित पद के लिए कौशल/ट्रेड परीक्षण**

पद नाम	**परीक्षण के प्रकार**
तकनीशियन (रखरखाव)	कौशल/ट्रेड परीक्षण
अवर श्रेणी लिपिक	टंकण परीक्षण

वन रक्षक	शारीरिक मानक सत्यापन के उपरांत पुरुषों के लिए 04 घंटे में 25 किमी और महिलाओं के लिए 14 किमी पैदल चलना
आशुलिपिक ग्रेड II	आशुलिपि परीक्षण

<u>कौशल/ट्रेड परीक्षण केवल अर्हक प्रकृति का होगा</u> और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा जो वर्णनात्मक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे तथा उसके उपरांत दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची सीबीटी में उनकी योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी (ऊपर उल्लिखित टाई ब्रेकिंग नियम के साथ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो वर्णनात्मक और कौशल/ ट्रेड परीक्षा (जहां भी लागू हो) में उत्तीर्ण होते हैं।

<u>सामान्य निर्देश</u>

1. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व पूर्ण रुप से पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि उन्होंने इस विज्ञापन में निर्धारित अर्हताएँ और अनुभव आदि प्राप्त किए हैं। निर्धारित अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड/ संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए।
2. आवेदक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेजों और फोटोग्राफ की प्रामाणिकता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदाई होगा। इस विज्ञापन के अनुसार, जिस पद (पदों) के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है, उस पद के लिए अपनी पात्रता का स्वयं मूल्यांकन करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। यदि भविष्य में किसी भी समय चयन की प्रक्रिया के दौरान या नियुक्ति के बाद भी यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी संस्थान के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, भले ही चयन के समय किसी भी कारण से उन खामियों का पता न चल पाया हो, तब भी उसका अभ्यर्थन/नियुक्ति तत्काल रद्द/समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
3. उपरोक्त सभी पद भा.वा.अ.शि.प. वेतनमान के अनुसार हैं और भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद /वन अनुसंधान संस्थान में नियुक्त परिषद के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया, परिवहन और संतान शिक्षा जैसे भत्तों के अनुरूप होंगे।
4. ये पद भारत सरकार की नई पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगे और पदधारी, सरकार/संस्थान के मानदंडों के अनुसार उनके आश्रित चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत आदि जैसे अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे।
5. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में यह बताता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है, लेकिन बाद में संस्थान को लिखकर अपनी श्रेणी को किसी आरक्षित श्रेणी में बदलने का अनुरोध करता है, तो ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. जो अभ्यर्थी संबंधित श्रेणियों के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भारत सरकार (भा.स.) के आदेशों में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं, और वे अपने दावे के समर्थन में भा.स. द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के मामले में, उनकी जाति अ.पि.व. की केंद्र सरकार की सूची में होनी चाहिए और उन्हें 'नॉन-क्रीमी लेयर' श्रेणी में होना चाहिए। प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैध होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया होना चाहिए।
8. शारीरिक रूप से दिव्यांग / पूर्व-सैनिक अभ्यार्थियों को अनुदेय आयु में छूट पर भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दी जाएगी। ऐसे अभ्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे छूट के हकदार हैं और उनके दावे के समर्थन में उनके पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित वैध प्रमाण पत्र / दस्तावेज उपलब्ध हैं। प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया होना चाहिए।
9. आयु में छूट

   a) अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) के लिए आयु में छूट, जहां लागू और स्वीकार्य हो।

   b) सभी अभ्यर्थी चाहे किसी भी समुदाय के हो यदि वे अनारक्षित अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें अनारक्षित रिक्तियों हेतु पात्र माना जाएगा। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.-एनसीएल/आ.क.व.) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए केवल उस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।

   c) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, जो कि आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व जारी होना चाहिए, प्रस्तुत करना होगा।

   d) इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल अभ्यर्थियों को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.93 एवं इसके बाद के संशोधन का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्थापना (आर.) दिनांक09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के माध्यम से तथा यदि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि तक कोई संशोधन प्राप्त होता है तो प्रमाण पत्र में विशेष रूप से बताना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्ति / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस नोटिस के तहत पदों के लिए आवेदन करते समय वह अ.पि.व.- नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी से संबंधित है। ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन

के दौरान निर्धारित प्रारूप में वैध अ.पि.व. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त श्रेणी प्रमाण पत्र (अ.पि.व. - नॉन क्रीमी लेयर) के इतर यदि आवश्यक हो तो सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, अन्यथा, आरक्षित स्थिति (अ.पि.व. - नॉन क्रीमी लेयर) के लिए उसके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/ आवेदन आदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो

e) का.प्र.वि. के का.ज्ञा.सं. 36039/1/2019-Estt (Res) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आ.क.व.) के लिए आरक्षण: वे अभ्यर्थी जो अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8.00 (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। परिवार की आय के रूप में आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष (2025-26) के सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से प्राप्त आय हुई सम्मिलित होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार के पास निम्न में से कोई भी संपत्ति है, या वह उसके मालिक हैं, उनकी परिवार की आय चाहे कितनी भी हो, उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर रखा जाएगा:

i. 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि
ii. वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

f) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति रखने की पात्रता की जांच करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा अपने अधिकार में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे आरक्षण का लाभ चाहिए तथा इसमें उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, जीवनसाथी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी सम्मिलित होंगे।

g) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी।
iii. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो, और
iv. उस क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी जहां के अभ्यर्थी और/ या उसका परिवार निवासी हैं।

h) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस सूचना में उल्लिखित आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के पालन न करने पर, आ.क.व. के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/ आवेदन, यदि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

i) अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व.-एनसीएल/आ.क.व. से संबंधित अभ्यर्थी जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी/ व्यवसायिक अर्हताओं को पूरा करते हैं, वे भी अनारक्षित रिक्तियों में आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि, उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और वे आयु में छूट सहित किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

j) इस सूचना हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि तक ही समुदाय/ आ.क.व. की स्थिति के आरक्षण का लाभ, यदि योग्य हो, लेने के लिए विचार किया जाएगा और उसके उपरांत अभ्यर्थी के समुदाय/ आ.क.व. की स्थिति में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. कोई भी अभ्यर्थी श्रेणी-आधारित आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र तभी होगा, जब आवेदन की अंतिम तिथि तक, वह जिस विशिष्ट जाति से संबंधित है, वह केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित श्रेणियों की सूची में शामिल हो।

11. एक बार जब कोई अभ्यर्थी किसी एक आरक्षित श्रेणी का चयन कर लेता है तो अन्य आरक्षित श्रेणी में बदलाव के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे कि अ.जा. से अ.ज.जा., अ.ज.जा. से अ.जा., अ.पि.व. से अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा. से अ.पि.व., अ.जा. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.जा., अ.ज.जा. से आ.क.व., अ.ज.जा. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.ज.जा., अ.पि.व. से आ.क.व., आ.क.व. से अ.पि.व. (या) ऐसा कोई भी अन्य अनुरोध।

12. यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई अभ्यर्थी दुर्भाग्यवश शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होने का वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा; ऐसा करने पर ही वह पीडब्लूडी (PwD) कोटे के तहत आरक्षित पदों के लिए पीडब्लूडी आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

13. भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण नीति निम्न प्रकार है.

वर्ग	आयु में छूट
अ.जा./अ.ज.जा.	केवल आरक्षित पदों के लिए 5 वर्ष
अ.पि.व.	केवल आरक्षित पदों के लिए 3 वर्ष
पीडब्ल्यूडी - न्यूनतम 40% दिव्यांगता सहित	दिव्यांगता की संबन्धित श्रेणी के लिए 10 वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 15 वर्ष और अ.पि.व. के लिए 13 वर्ष)
पूर्व सैनिक / दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिक	समूह 'ग' और पूर्व के 'घ' के पदों के लिए नौ सेना/ थल सेना और वायु सेना में की गई सेवा की अवधि + 3 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मियों के लिए 8 वर्ष) भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार समूह 'ग' और पूर्व के 'घ' के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष)
केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है।	40 वर्ष की आयु तक
केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी (अ.जा./अ.ज.जा.) जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष से अधिक की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है	45 वर्ष की आयु तक
विधवाएँ, तलाकशुदा महिलाएँ, वे महिलाएँ जो कानूनी रूप से अलग हो चुकी हैं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है	35 वर्ष की आयु तक
अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विधवाएँ, तलाकशुदा महिलाएँ, वे महिलाएँ जो कानूनी रूप से अलग हो चुकी हैं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है	40 वर्ष की आयु तक

14. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखना चाहिए और दस्तावेज सत्यापन के समय अपलोड किए गए वही दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए।
15. अभ्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय दिए गए निर्देशों के अनुसार, अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों आदि की स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज अपलोड करनी चाहिए।
16. फोटोग्राफ नवीन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो, फोटो के पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) का रंग हल्का, मुख्यतः सफेद होना चाहिए। फोटो खींचते समय शांत मुद्रा में सीधे कैमरे की ओर देखें।
17. आवेदक को सफेद कागज पर काली/नीली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर केवल आवेदक के होने चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति के। यदि किसी भी स्तर पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के वास्तविक हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक का अभ्यर्थन रद्द किया जा सकता। कृपया हस्ताक्षर वाले हिस्से को ही स्कैन करें पूरे पृष्ठ को नहीं।
18. यदि अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसका अभ्यर्थन रद्द किया जा सकता है।
19. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आ.क.व./दिव्यांगजन श्रेणी या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी।
20. सभी पद अस्थाई हैं लेकिन आगे भी जारी रहने की संभावना है। नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्थाई नियुक्ति दी जाएगी।
21. दर्शाए गये पदों की संख्या संस्थान की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।
22. संस्थान को विज्ञापित पदों को ना भरने और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार है।
23. उपयुक्त पाए जाने पर रिक्त पद शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी (दिव्यांग व्यक्ति) के आवेदकों से भी भरे जा सकते हैं भले ही वह पद पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत आरक्षित न हो।
24. सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान एजेंसियों में काम करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन उचित माध्यम द्वारा ही प्रेषित करना चाहिए और इसके साथ सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित एक बेबाकी प्रमाण पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक (यदि चयन हो) को नियुक्ति आदेश पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के समय उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (फॉर्म भरने के समय अपलोड किया गया) जमा करना आवश्यक होगा, जिसमें विफल होने पर अभ्यर्थी को पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
25. अभ्यर्थियों की पात्रता, स्क्रीनिंग/ कौशल/ ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) और वर्णनात्मक परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में सभी अभ्यर्थियों पर नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यार्थियों को मानना होगा

26. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि वे संस्थान के आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाएँ।

27. संस्थान द्वारा नियुक्ति के समय या सेवा कार्यकाल के दौरान किसी भी समय किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववृत्त या दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज नकली हैं या अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त संदिग्ध/ अस्वीकार्य योग्य पृष्ठभूमि के पाए जाते हैं और दी गई जानकारी को छिपाई जाती है, तो उसका /उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों/ कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

28. जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि एक से अधिक पदों के आवेदन के मामले में यदि अभ्यर्थी को दूरस्थ परीक्षा केंद्र मिलता है तो इसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी दो या दो से अधिक पदों के लिए एक ही समय में परीक्षा तिथि/समय निश्चित होने पर ऐसी स्थिति में वन अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षा तिथि/समय/केंद्र में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं तय करना होगा कि वह किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।

29. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी होने पर, उसे केवल संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

30. ऑनलाइन आवेदन केवल वन अनुसंधान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://fri.icfre.gov.in पर दिए गए लिंक से ही जमा किए जा सकते है। अभ्यार्थियों को ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

31. अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा हेतु सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भरी लोड होने के कारण डिस्कनेक्ट/ एफ़आरआई वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता हो सकती है।

32. आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

33. विज्ञापित पद के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा हालांकि ट्रेड /कौशल परीक्षण आदि जहां कहीं भी लागू हो आयोजित किया जाएगा।

34. अभ्यर्थी के ऑनलाइन फ़ॉर्म एक बार अंतिम रूप से जमा करने के उपरांत किसी भी डेटा में बदलाव के लिए किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

35. अनुवाद में कोई अस्पष्टता होने पर, उसे अंग्रेजी संस्करण के अनुसार हल किया जाएगा।

36. केवल इस तथ्य से कि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), वर्णनात्मक या ट्रेड परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि एफआरआई द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), वर्णनात्मक या ट्रेड परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अयोग्यता का पता लगता है या यदि विज्ञापन में दिए गए नियम और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी अन्य अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेजों को किसी भी चरण में मांगा जाता है, या उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो यह उसकी अभ्यर्थन रद्द होने के लिए उत्तरदाई होगा। वन अनुसंधान संस्थान इस आधार पर उम्मीदवारी रद्द होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

37. मेरिट के आधार पर, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाएगा। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आ.क.व. भी अनारक्षित श्रेणी के लिए विचार किए जाने के योग्य हैं, यदि आयु में कोई रियायत और योग्यता मानक में किसी भी छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार के लिए पात्र होंगे।

38. परीक्षा की तिथि और समय तथा परीक्षा केंद्र वन अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

39. किसी भी अभ्यर्थी हेतु परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता या अन्य रूप से पात्रता के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

40. किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में अनुचित सहयोग प्राप्त करने का किसी भी प्रकार का प्रयास उस अभ्यर्थन को समाप्त कर सकता है।

41. आगे की चयन प्रक्रिया, अभ्यार्थियों की शॉर्टलिस्टिंग और ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (**CBT**), वर्णनात्मक परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और शारीरिक परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित भविष्य में सभी किए जाने वाले पत्राचार संस्थान की वेबसाइट **https//fri.icfre.gov.in** पर अपलोड किए जाएंगे। वन अनुसंधान संस्थान वेबसाइट को नियमित रूप से देखना अभ्यार्थियों की ज़िम्मेदारी होगी।

42. किसी भी प्रकार की संयाचना करने और/ या किसी भी राजनैतिक या अन्य दबाव बनाने से उसके द्वारा आवेदित पद हेतु अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा।

43. किसी भी कारण से अपूर्ण आवेदन बिना विलंब के निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की अंतरिम पूछताछ/ पत्राचार/ संपर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

44. अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्लूडी /महिला अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। उन्हें केवल प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

45. प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क सामा./अ.पि.व./आ.क.व. अभ्यार्थियों के लिए 1500/- रुपये (800 रुपये आवेदन शुल्क और 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क) है, और महिला/अ.जा./अ.ज.जा./ पीडब्लूडी अभ्यर्थियों से केवल 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।

46. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस या पुनः समायोजित नहीं किया जाएगा।

47. संस्थान द्वारा परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी बाद में जारी किए गए प्रवेश पत्र में दी जाएगी।

48. यदि कोई कानूनी विवाद होता है, तो वह उत्तराखंड राज्य के सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

49. यदि अभ्यर्थी नीचे सूचीबद्ध किसी भी अनाचार में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी और उन्हें नीचे दी गई अवधि के लिए संस्थान की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	अनाचार के प्रकार	वर्जन अवधि
1.	परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष से परीक्षा संबंधी कोई सामग्री ले जाना या अनाधिकृत व्यक्तियों को देना	2 वर्ष
2.	परीक्षा के दौरान बिना बताए परीक्षा स्थल से जाना	2 वर्ष
3.	परीक्षा अधिकारियों जैसे पर्यवेक्षक, अन्वेषक, सुरक्षा गार्ड या संस्थान के प्रतिनिधियों आदि के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, डराना या धमकी देना	3 वर्ष
4.	परीक्षा के आयोजन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5.	गलत या असत्य बयान देना, भौतिक जानकारी को छुपाना, जाली दस्तावेज जमा करना आदि	3 वर्ष
6.	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त करना/प्रभाव डालना	3 वर्ष
7.	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना	3 वर्ष
8.	नियमों के विपरीत एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होना	3 वर्ष
9.	ऐसा अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी कार्य कर रहा हो	3 वर्ष
10.	परीक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना	5 वर्ष
11.	जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण आदि के साथ परीक्षा में उपस्थित होना	5 वर्ष
12.	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्र / हथियार साथ लाना	5 वर्ष
13.	हमला करना, बल का प्रयोग करना, परीक्षा अधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, अन्वेषक, सुरक्षा गार्ड या संस्थान के प्रतिनिधियों आदि को किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान पहुँचाना	7 वर्ष
14.	परीक्षा पदाधिकारियों को हथियारों/आग्नेयास्त्रों से डराना/धमकाना	7 वर्ष
15.	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना जैसे किसी कागज या शरीर के अंगों पर लिखित सामग्री आदि	7 वर्ष
16.	परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाई कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना	7 वर्ष
17.	प्रतिरूपण करना/किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना	7 वर्ष
18.	स्नैपशॉट लेना, प्रश्नपत्र या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना	7 वर्ष
19.	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/ऐप्स/लैन/वीएएन आदि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल से छेड़छाड़ करना	7 वर्ष
20.	परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी बिंदु पर परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास	7 वर्ष

FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his/ her claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ________________________ son/daughter of ________________________________ of village/town*________________ in District/Division *_____________________ of the State/Union Territory* ________ belongs to the Caste/Tribes______________ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 __________________
The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _______________
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 * ______________
The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*_____________
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956__________
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976*.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@. The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@ The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996@
The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act 2002@ 58
The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002@
The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Act 2002@
The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007@ %2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati ________________________Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari*_________________________of village/town*_____________________ in District/Division* _____________________of the State/Union Territory*____________________________ who belong to the _______________________________ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the_________________________________dated__________________________. %3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town*_____________________________________ of _______________ District/Division* ________________of the State/Union Territory of __________________________

Signature________________________

** Designation______________________

(with seal of office)

Place_____________

Date______________

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:**

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(i) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(ii) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ______________________son/daughter of ____________________________of village/town_______________________

in District/Division ____________________________ in the State/Union Territory ________________________belongstothe ________________________Communitywhichisrecognizedasabackwardclassunderthe Governmentof India,MinistryofSocialJusticeand

Empowerment's Resolution No. ______________________dated ______________*.

Shri/Smt./Kumari_______________________and/orhis/herfamilyordinarilyreside(s)inthe

____________________ District/Divisionofthe ____________________State/UnionTerritory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer)mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel &TrainingO.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated8.9.1993**.

DistrictMagistrate:____________________________________

DeputyCommissioneretc.:_______________________________

Dated:

Seal:

---

*Theauthorityissuingthecertificatemayhavetomentionthedetailsof ResolutionofGovernmentofIndia,in whichthecasteofthe candidate is mentioned as OBC.

**Asamended from timeto time.

Note:Theterm"Ordinarily"usedherewillhavethesamemeaningasinSection20oftheRepresentationof the People Act,1950.

Government of..............

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.___________ Date ________________

VALID FOR THE YEAR_________________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari________________________________son/daughter/wife of _________________Permanent resident of_________________________, Village/Street_________________Post Office_______________________District________________________in the State/Union Territory_____________________________Pin Code____________whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her‘ family’** is below Rs.8Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ______ His/ her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5acresofagriculturallandand above;

II. Residential flat of1000 sq. ft. and above;

III Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari___________________________________belongs to the__________________ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office________________________

Name____________________________________

Designation________________________________

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note1:Incomecoveredallsourcesi.e.salary,agriculture, business, profession etc.

**Note 2: The term ‘Family’ for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a “Family” in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) ________________________________ (Rank) __________________ (Name) _________________________ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) ___________________.

(Signature of Commanding Officer)

Office Seal

Place:

Date:

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I……………………………, bearing Roll No…………………………………………,appearing for the Document Verification of the ……………………………………………………………Examination, 20… ……….,do hereby undertake that:

(a) I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules ,1979, as amended from time to time.

(b) I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or

(c) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side .I have joined as……………………………on… in the office of ……………. ………………………………………… I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or

(d) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side .I have joined as ……………………………on… in the office of……………………………………Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

Signature:	…………………
Name:	…………….
Roll Number:	……………….
Date:	…………….
Date of appointment in Armed Forces:	…………….
Date of Discharge:	…………….
Last Unit/ Corps:	…………….
Mobile Number:	…………….
Email ID:	…………….

Disability Certificate
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs
and in cases of blindness)
(See rule 4)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. .... *Date:* ....

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum............................... son/wife/ daughter of Shri.............................. Date of Birth ....

(DD/ MM/ YY)
Age .... years, male/female ....
Registration No. .... permanent resident of House No. ....
Ward/Village/Street .... Post Office .... District .... State ....
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
(A) he/she is a case of :

= locomotor disability
= blindness

(Please tick as applicable)
(B) the diagnosis in his/her case is…..

(A) He/ She has ....% (in figure)............................. percent (in words) permanent physical impairment/blindness in relation to his/her .... (part of body) as per guidelines (to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence;-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.

Disability Certificate
(In case of multiple disabilities)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)
(See rule 4)

Recent PP size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. ....
Date: ....

This is to certify that we have carefully examined Shri/ Smt/Kum. .... /son/wife/daughter of Shri .... Date of Birth............................... Age ....years, male/female......................
(DD) (MM) (YY)
Registration No....................... permanent resident of House No................................
Ward/Village/Street.. Post Office ....
District..............................State .... whose photograph is affixed above, and are satisfied that:
(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table below:

S.No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in %)
1	Locomotor disability	@		
2	Low vision	#		
3	Blindness	Both Eyes		
4	Hearing impairment	£		
5	Mental retardation	X		
6	Mental-illness	X		

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines (to be specified), is as follows:-
In figures:- ....percent
In words:- ....percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/ not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/ after .... years.................. months, and therefore this certificate shall be valid till ....

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/Right/both arms/legs

Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and seal of Member	Name and seal of Member	Name and seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.

Disability Certificate

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

(See rule 4)

Recent PP size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. .... Date: ....

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum .... son/wife/daughter of Shri .... Date of Birth....................................... (DD)

(MM) (YY)

Age .... years, male/female..................

Registration No. .... permanent resident of House No................ Ward/Village/Street .... Post Office .... District.............. State .... whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of .... disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S.No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in %)
1	Locomotor disability	@		
2	Low vision	#		
3	Blindness	Both Eyes		
4	Hearing impairment	£		
5	Mental retardation	X		
6	Mental-illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary

Or

(ii) is recommended/ after .... years .... months, and therefore

this certificate shall be valid till ....

(DD) (MM)

(YY)

@ e.g. Left/Right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the CMO/Medical Superintendent/Head of Government Hospital, in case the certificate is issued by a medical authority who is not a government servant (with seal))

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 908 (E), dated the 31st December, 1996.

ICFRE and Govt. Employee Certificate

Certificate to be furnished by the Employer/Forwarding Authority

Certified that:

(i) The particulars furnished by Shri/Smt……………………………..are correct.

(ii) There is no vigilance/disciplinary case either pending or contemplated against him/her.

(iii) Integrity of the applicant is certified.

(iv) Photocopies of the up-to-date ACRs, attested by an officer not below the Rank of an Under Secretary to the Government of India are enclosed.

Date:

(Signature of Head of the Department/Forwarding Authority)

Name………………………………

Department………………………

Office………………………………

Tel. No……………………………..

Fax No……………………………..

Mobile………………………………